

मध्यप्रदेश शासन,
जल संसाधन विभाग,
मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल

क्रमांक -एफ 19-57 / 2017 / पी-1 / 31
प्रति,

भोपाल, दिनांक...../08...../2020

मुख्य अभियंता,
गंगा कछार, जल संसाधन विभाग,
रीवा, म0प्र0 ।

विषय :- न मांग न जांच" प्रमाण पत्र वाबत-श्री जे.के. तिवारी, से0 नि0 अधीक्षण यंत्री ।

—00—

उपरोक्त विषयांकित संदर्भित पत्रों के माध्यम से श्री जे.के. तिवारी, अधीक्षण यंत्री, जो कि दिनांक 31.01.2010 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं, के संबंध में कार्यपालन यंत्री, महान परिशोजना संभाग सीधी में पदस्थ रहने के दौरान उनके विरुद्ध रुपये 20,12,386/- (बीस लाख बारह हजार तीन सौ छियासी) की राशि किन किन मदों में दर्ज है साथ ही कार्यपालन यंत्री, सम्राट अशोक सागर संभाग क्रमांक -2 विदिशा द्वारा सूचित किया गया है कि श्री तिवारी के नाम रुपये 45,221.00/- (पैंतालीस हजार दो सौ इक्कीस) विविध अग्रिम लेखा में समायोजन हेतु शेष हैं, के संबंध में दोनों प्रकरणों के निराकरण संबंधी जानकारी से तत्काल इस विभाग को अविलंब अवगत कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण का निराकरण किया जाना संभव हो सके ।

(प्रमोद कुमार खरे)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
जल संसाधन विभाग भोपाल

पू. क्रमांक --एफ 19-57 / 2017 / पी-1 / 31
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 20 / 08 / 2020

मुख्य अभियंता, गंगा कछार, जल संसाधन विभाग, रीवा म0प्र0

//2//

2.

श्री जुगल किशोर तिवारी, सेवा निवृत्त अधीक्षण यंत्री प्लाट नं. 68 त्रिलंगा
ई-8शाहपुरा भोपाल ।

वेब मैनेजर, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग की ओर विभाग की
वेबसाइट पर प्रविष्टि हेतु।


अवर सचिव 20/8/21
मध्य प्रदेश शासन
जल संसाधन विभाग भोपाल